फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री रोहित चौहान निवासी वार्ड नं. 02, तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास, आबू

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 39 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.03.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 13.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.01.2023 से 30.06.2023 तक की अवधि में अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कुल कार्यवाहियों की संख्या एवं प्रत्येक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की तिथि एवं स्थान का विवरण तथा अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी जारी किए गए नोटिस / आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 /– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 13.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.01.2023 से 30.06.2023 तक की अवधि में अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कुल कार्यवाहियों की संख्या एवं प्रत्येक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की तिथि एवं स्थान का विवरण तथा अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी जारी किए गए नोटिस / आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / यूआईटी आबू / आर.टी.आई. / 2026 / 809 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू के स्तर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	